



**न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता-सह-नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।**

आदेश पत्रक

जिला - गुमला

वाद सं०- 60 / 2020-21

केस का प्रकार - नीलाम पत्र

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई की दिप्पणी एवं तारीख
	<p align="center"><b>बैंक ऑफ इण्डिया, चैनपुर जारी</b></p> <p align="center"><b>बनाम</b></p> <p align="center"><b>श्री सुरेन्द्र उराँव ..... विपक्षी</b></p> <p>अधियाची पदाधिकारी शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, जारी शाखा से लोक मांग वसूली अधिनियम की धारा 5 के तहत नीलाम-पत्र दायर करने की अधियाचना प्राप्त हुई जिसमें श्री सुरेन्द्र उराँव, पिता- सुवेदार उराँव, ग्राम- चैनपुर, पोस्ट- चैनपुर, जिला- गुमला के विरुद्ध देनदार दिखाते हुए राशि <b>49375.00</b> रुपये पर बकाया राशि दर्शाया गया था।</p> <p>बैंक ऑफ इण्डिया, जारी के द्वारा दिया गया अदेय प्रमाण पत्र के आधार पर वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p align="center">अतः वाद की कार्यावाही समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं सशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <b>कार्यपालक दण्डाधिकारी</b>  <b>-सह-</b>  <b>नीलाम पत्र पदाधिकारी,</b>  <b>चैनपुर (गुमला)।</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>कार्यपालक दण्डाधिकारी</b>  <b>-सह-</b>  <b>नीलाम पत्र पदाधिकारी,</b>  <b>चैनपुर (गुमला)।</b> </div> </div>	